

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 139]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 मार्च 2013—चैत्र 7, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ-ए-3-60-2005-1-पांच(10).—मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट इस विभाग की अधिसूचनाओं में, उक्त सारणी के कालम (3) में विनिर्दिष्ट रीति में तथा सीमा तक संशोधन करती है:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुसूचना क्रमांक (2)	संशोधन (3)
1.	एफ-ए-3-88-06-1-पांच(06), दिनांक 21-3-2007	अनुसूची में, कालम (3) में, अंक "31-3-2013" के स्थान पर, अंक "31-3-2014" स्थापित किए जाएं;
2.	एफ-ए-3-60-05-1-पांच (09), दिनांक 1-4-2007	अंक "31-3-2013" के स्थान पर, अंक "31-3-2014" स्थापित किए जाएं;
3.	एफ-ए-5-4-2007-1-पांच (25), दिनांक 27-6-2007	अंक "31-3-2013" के स्थान पर, अंक "31-3-2014" स्थापित किए जाएं;
4.	एफ-ए-3-42-07-1-पांच (29), दिनांक 22-9-2007	अनुसूची में, कालम (3) में, अंक "31-3-2013" के स्थान पर, अंक "31-3-2014" स्थापित किए जाएं.
5.	एफ-ए-3-2-2010-1-पांच (47), दिनांक 1-4-2010.	अंक "31-3-2013" के स्थान पर, अंक "31-3-2014" स्थापित किए जाएं;

(1)	(2)	(3)
6. एफ-ए-3-23-2010-1-पांच (92), दिनांक 19-11-2010	(1) सारणी में,—  (क) कालम (3) में, अंक “31-3-2013” के स्थान पर, अंक “31-3-2014” स्थापित किए जाएं;  (ख) (1) कालम (4) में, शब्द “मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड” के स्थान पर शब्द “मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, लिमिटेड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड” स्थापित किए जाएं.  (2) प्ररूप में, शब्द “मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड” के स्थान पर शब्द “मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, लिमिटेड या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, लिमिटेड” स्थापित किये जाएं.	
7. एफ-ए-3-11-2011-1-पांच (16), दिनांक 31-3-2011.	अंक “31-3-2013” के स्थान पर, अंक “31-3-2014” स्थापित किए जाएं.	

2. ये संशोधन दिनांक 1 अप्रैल 2013, से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. आर. कुरेशी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2013

क्र. एफ ए 3-60-2005-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-60-2005-1-पांच (10), दिनांक 28 मार्च 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. आर. कुरेशी, उपसचिव.

Bhopal, the 28th March 2013

No. F-A-3-60-2005-1-V (10).—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Madhya Pradesh Sthaniya Kehstra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhinyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendments in this Department's Notification specified in column (2) of the Table below to the extent and in the manner specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

S. No. (1)	Notification No. (2)	Amendments (3)
1.	F-A-3-88-06-1-V (06), dated 21-3-2007	In the Schedule, in column (3), for the figures “31-3-2013”, the figures “31-3-2014” shall be substituted;
2.	F-A-3-60-05-1-V (09), dated 1-4-2007	For the figures “31-3-2013”, the figures “31-3-2014” shall be substituted;

(1)	(2)	(3)
3.	F-A-5-4-2007-1-V (25), dated 27-6-2007	for the figures "31-3-2013", the figures "31-3-2014" shall be substituted;
4.	F-A-3-42-07-1-V (29), dated 22-9-2007	In the Schedule, in column (3), for the figures "31-3-2013", the figures "31-3-2014" shall be substituted;
5.	F-A-3-2-2010-1-V (47), dated 1-4-2010	for the figures "31-3-2013", the figures "31-3-2014" shall be substituted;
6.	F-A-3-23-2010-1-V (92), dated 19-11-2010	<p>(1) In the table,—</p> <p>(a) in column (3), for the figures "31-3-2013", the figures "31-3-2014" shall be substituted;</p> <p>(b) (1) in column (4), for the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited", the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited or Rashtriya Laghu Udyog Nigam Limited" shall be substituted.</p> <p>(2) in the Form for the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited" the words "Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited or Rastriya Laghu Udyog Nigam Limited" shall be substituted.</p>
7.	F-A-3-11-2011-V (16), dated 31-3-2011	For the figures "31-3-2013", the figures "31-3-2014" shall be substituted.

2. These amendments shall come into force from 1st April, 2013.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
A. R. QURESHI, Dy. Secy.